भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 67

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

सड़कों की स्थिति

67. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गुणवत्ता आदि के संदर्भ में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की यातायात योग्य सड़कों के संबंध में नियमित आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में कमी पाई गई क्योंकि इनमें से कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन के कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों का वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खराब सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार राजमार्गों के निर्माण में ऐसी अनियमितताओं को कम करने और रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की स्थिति का समय-समय पर मंत्रालय और इसकी विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), लोक निर्माण विभाग

(पीडब्ल्यूडी)/सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी)/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के निगम द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और एनएच को यातायात-योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए एनएच के विकास और रखरखाव के लिए कार्य पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात घनत्व और निधियों की उपलब्धता के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त होने का कोई मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में शिकायतों और कमियों का समाधान और उनके लिए किए गए सुधारात्मक उपाय एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी और जांच के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण मंत्रालय और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों और कोड में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है। यह अनुबंध/रियायत समझौते में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन/नियंत्रण के कार्यान्वयन के दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता के रूप में सलाहकारों की नियुक्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। मंत्रालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ, पीडब्ल्यूडी/आरसीडी/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के निगमों के अधिकारी भी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। अवमानक कार्य पाए जाने पर, यदि कोई हो, तो उसे सुधारा जाता है और विनिर्देशों के अनुसार पुनः बिछाया जाता है। किसी भी चूक के मामले में, समझौते के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

******